न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 347/2017/223 आर टी ए

महावीर पुत्र बुधराम जाति मेघवाल निवासी हरीपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– अपीलांट

बनाम

1. जोगेन्द्र सिह पुत्र गुरबचनसिंह जाति रामदासिया निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. छिन्द्रपाल कौर पत्नि जोगेन्द्र सिंह जाति रामदासिया निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. कैलाशदेवी पत्नि चुन्नीराम जाति मेघवालनिवासी दौलतपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्व संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पोडैन्टस

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 न्यायालय सहायक कलैक्टर संगरिया

प्र0सं0 404/2014 अनवानी जोगेन्द्र सिंह बनाम सोना आदि

उपस्थित :–

श्री शमशेर सिंह अधिवक्ता अपीलांट

श्री शिवराज सिंह खोसा अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 3

श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4

निर्णय दिनांकः–01.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार हैं कि रेस्पो0 सं. 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 53 आरटीए प्रस्तुत किया, जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की जाकर रेस्पो0 का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री किया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।
2. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध तथा न्यायिक सिद्धांतो के खिलाफ है। अपीलांट को रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष जैरकार प्रकरण मे बतौर प्रतिवादी सं. 6 पक्षकार

संयोजित किया था जिसमे अपीलांट का पता दीनगढ अंकित किया था जबकि रेस्पो0 सं. 1 व 2 को भलीभांति जानकारी है कि अपीलांट हरीपुरा का स्थाई निवासी है। अपीलांट का सम्मन भी अदम तामिल प्राप्त हुआ जिस पर अखबार मे छाया के आदेश प्राप्त कर अपीलांट के विरूद्ध दिनांक 27.02.2015 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई तथा कानूनन अगर कोई पक्षकार सम्मन लेने से गुरैज करता है तो सीपीसी प्रावधानो के अनुसार साधारण सम्मन उपरांत जरिये रजिस्टर्ड ए0डी0 तामिल करवोन के उपरांत अगर फिर भी कोई पक्षकार तामिल लेने से गुरैज करता है तो अखबार मे छाया के आदेश दिये जा सकते है परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा सीपीसी के सिद्धांतो के विपरीत जाकर सीधे ही अखबार मे छाया के आदेश जारी करते हुए अखबार मे छाया के आधार पर अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही कर दी। खाता विभाजन के वाद मे कानूनन प्राथमिक डिक्री जारी कर ही अन्तिम डिक्री जारी होनी चाहिए परन्तु विचारण न्यायालय ने ऐसा न कर सीधे ही अन्तिम डिक्री जारी कर दी। रेस्पो0 सं. 1 ता 3 द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि जरिये अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपने नाम करवा ली जबकि अपीलांट द्वारा अपनी भूमि समतल कर अधिक उपजाउ बनाई हुई है तथा अपीलांट की विधिवत तामिल करवाये बिना विचारणीय न्यायालय द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि रेस्पो0 सं. 1 ता 3 के नाम दर्ज कर दी गई जो विधि के विपरीत है। रेस्पो0 सं. 1 व 2 द्वारा विचारणीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद मे घरूबंटवारे के कथन किये परन्तु घरूबंटवारे के संबंध मे किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज पेश नही किया गया है। अधिवक्ता अपीलांट के बहस के अन्त मे निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जावें।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में अपील मे वर्णित तथ्यो का खण्डन करते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपीलाधीन प्रकरण मे अपीलांट की तामिल करवाई गई पते के अभाव मे जरिये समाचार पत्र मे साया करवाई गई।

बावजूद अखबार साया कोई हाजिर न आने के कारण अपीलांट के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही लाई गई है। प्रकरण मे अन्य कोई विरोधाभास नही होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर रेस्पो0 का वाद एवं अन्य प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम डिक्री किया गया है जो सही है। अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण खारिज की जावें।

5. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 4 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

6. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपील का निस्तारण गुणावगुण पर श्रेयष्कर होने के तथ्य को मद्देनजर रखते हुए धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील अपीलाण्ट अंदर मियाद शुमार की जाती है। अपीलाण्ट के कथनानुसार अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त भूमि की घोषणा के साथ साथ खाता विभाजन की डिक्री भी पारित की गई। जिसमे ना तो अपीलाण्ट की तामील करवाई की गई और ना ही विभाजन हेतु प्रकरण मे प्राथमिक डिक्री जारी करते हुए तहसीलदार से मौका अनुसार अच्छी मंदी के हिसाब से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया बल्कि अपीलाण्ट की समुचित तामील करवाये बिना प्रकरण मे अपीलांट का पता गलत अंकित हुए विधिवत तामिल करवाये बिना एकतरफा तौर अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाकर दावा अन्तिम डिक्री किया गया है। इस प्रकार यह साबित होता है कि अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष साक्ष्य एवं सुनवाई का युक्ति युक्त अवसर प्राप्त नही हुआ एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के विरूद्ध एकपक्षीय डिक्री पारित की गयी है तथा साथ ही अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण मे राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नही हो पाई है। जबकि विभाजन के वाद मे दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर प्राथमिक डिक्री जारी

कर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए समस्त सहखातेदारान की उपस्थिति मे समस्त सहखातेदारान को सुनवाई का अवसर दिया जाकर विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित किये जाने का प्रावधान है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित है।

7. अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने के कारण अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय मे इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण मे नियमानुसार प्राथमिक डिक्री पारित की जाकर राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 मे विहित प्रावधानो की पालना सुनिश्चित करते हुए विभाजन हेतु अन्तिम डिक्री पारित करें। विभाजन प्रस्ताव हेतु मौका निरीक्षण की तिथि के संबंध मे तहसीलदार उभय पक्ष को विधिवत रूप से सूचित कर उभय पक्ष की उपस्थिति मे मौका निरीक्षण कर नियम 18 ता 21 के प्रावधानो के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करें। तहसीलदार से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर सहखातेदारान की आपत्तियों/आक्षेपों पर सुनवाई कर नियमानुसार निस्तारण करते हुये विभाजन की अन्तिम डिक्री पारित करें। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय मे दिनांक 30.11.2017 को उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर.ए.एस.
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास हरभान मीणा आर0ए0एस0
अपील संख्या – 118/2012/223 आर टी ए

1. बिशन सिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरा बाटी जिला झुन्झनू।

—— अपीलांट

बनाम

1. मु0 सुशीला कंवर बेवा महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
2. राजवीर सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
3. भवानी सिंह पुत्र महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
4. मु0 रेखा कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
5. मु0 पुनम कंवर पुत्री महेन्द्रसिंह जाति राजपूत निवासी गोगामेडी तहसील नोहर।
6. महीपालसिंह पुत्र भोपालसिंह जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरा वाटी जिला झुन्झनू राज0।
7. ओमवीर सिंह पुत्र गिरवारसिंह जाति राजपूत निवासी छापोली तहसील उदयपुरा वाटी जिला झुन्झनू राज0।

—— रेस्पोडैन्ट

अपील विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2010 न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर प्र0सं0 191/2007 अनवानी सुशीला आदि बनाम महीपालसिंह आदि

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री मदनमोहन जोशी अधिवक्ता अपीलांट व श्री हवासिंह अधिवक्ता रेस्पो0 सं0 1 ता 5 की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपील अपीलांट खारिज योग्य होने के कारण अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 02.07.2010 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 03.07.2017 को जारी की गई।

(हरभान मीणा आर.ए.एस.)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ